

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)



आदेश पत्रक- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत
सन्दर्भित वाद संख्या- 165 /2013-14
सिकन्दर यादव बनाम उपेन्द्र यादव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>आवेदक सिकन्दर यादव पे0- प्रभु यादव सा0 मेटुनियाँ थाना + अंचल- बहेड़ी जिला- दरभंगा ने बिहार भूमि विवाद अधिनियम के अन्तर्गत वाद दायर कर उपेन्द्र यादव पे0- कारी यादव के खिलाफ निम्नलिखित अनुतोष की माँग की है :-</p> <p>आवेदक के मद नं0 3 वाद पत्र के सम्पत्ति पर अधिकार की उदघोषणा किया जाय तथा विपक्षी को मद नं0 3 की सम्पत्ति पर हस्तक्षेप करने से रोक लगाया जाय। आवेदक का वाद पत्र में कथन है कि पुराना खाता नं0 85 खेसरा नं0 645, 647 कुल रकवा 20 डिसमल मौजे मेटुनियाँ थाना + अंचल- बहेड़ी जिसका विवरण वाद पत्र के अनुसूचि नं0 1 में दर्ज है, पुराना सर्वे खतियान में बच्चा गोप के नाम दर्ज है, बच्चा गोप को दो पुत्र छटु गोप वो अकलू गोप हुए। छटु गोप बिना संतान के मर गये। अकलू गोप को पाँच पुत्र राम शरण यादव, बहादुर यादव, रामू यादव, राम प्रसाद यादव उर्फ कलर यादव वो नूनू यादव हुए। नूनू यादव बिना संतान के बहादुर यादव एवं रामू यादव के साथ सम्मिलात रहते हुए मर गये।</p> <p>आवेदक ने केवाला दिनांक 26.03.11 से बिन्दु यादव से 11 1/2 धुर जमीन खरीदा तथा आवेदक को उतराधिकार एवं खरीदगी से कुल 02 कट्टा 02 धुर पर दखल कब्जा है, आवेदक अपनी खरीदी हुई 11 1/2 धुर जमीन जिसका विवरण मद नं0 2 में दर्ज है पर घर का निर्माण कर रहे थे एवं पुरे 11 1/2 धुर में लगभग 08 फीट उँचाई तक निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। विपक्षी को आवेदक के जमीन से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन विपक्षी आवेदक के मकान का जुड़ाई करने से रोक दिया तथा झंझट करने पर उतारू हो गये। आवेदक ने अंचल अधिकारी बहेड़ी के यहाँ अपने जमीन का सीमांकन हेतु आवेदन दिया, अंचल अधिकारी बहेड़ी ने आवेदक एवं विपक्षी के उपस्थिति में अंचल अमीन से नापी कराया, अंचल अमीन ने आवेदक का 02 कट्टा 05 धुर</p>	

11/02/14

आदेश की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>जमीन पर सही दखल कब्जा पाया, परन्तु विपक्षी जो लठियल किशम के व्यक्ति हैं, आवेदक को निर्माण कार्य करने से रोके हुए हैं, अतः विपक्षी को आवेदक के जमीन में हस्तक्षेप करने से रोक लगाया जाय।</p> <p>विपक्षी कार्रवाई में दिनांक 01.07.13 ई0 को उपस्थित हुए तथा दिनांक 23.09.13 को आपति पत्र सह लिखित ब्यान दाखिल किए हैं जिसमें कहा गया है कि वर्तमान मुकदमा पक्षकारों के हक एवं अधिकार से संबंधित है, वर्तमान मुकदमा में हकियत का जटिल प्रश्न निहित है। विपक्षी का यह भी कथन है कि राधे गोप के दोनों लड़का मेही गोप, ठीठर गोप के बीच बँटवारा हुआ, मेही गोप को 01 कट्टा 2 1/2 धुर तथा ठीठर गोप को 01 कट्टा 2 1/2 धुर जमीन हिस्सा हुआ, मेही गोप के एक लड़का अयोध्या गोप हुए, तथा अयोध्या गोप के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने केवाला दिनांक 13.04.74 ई0 से उपेन्द्र यादव प्रतिवादी के हाथ 01 कट्टा 2 1/2 धुर जमीन खेसरा नं0 645, 647 से बेचा, विपक्षी अपना दाखिल खारिज कराकर मालगुजारी सरकारी रसीद भी कटाते चले आ रहे हैं। वाद में आवेदक को प्रश्नगत जमीन से कोई इलाका वो सरोकार नहीं है, चूँकि वे एक मामले प्रदाज व्यक्ति हैं, इसलिए कानूनी प्रक्रिया का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी को तबाह करते हैं, न आवेदक के विक्रेता नहीं आवेदक को कभी पुरे जमीन पर हकियत वो दखल कब्जा हुआ, आवेदक का केवाला दिनांक 26.03.11 बनावटी एवं फर्जी है। अतः आवेदक के वाद को खारिज किया जाय।</p> <p>उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को बहस को सुना। बहस के दौरान आवेदक के अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक ने विवाद के समाधान एवं सीमांकन हेतु अंचल अधिकारी बहेड़ी ने अंचल अमीन से स्थल की नापी करवाया, नापी प्रतिवेदन आवेदक के द्वारा दाखिल किया गया जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं, नापी के बात को उभय पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है। नापी में अंचल अमीन ने प्रतिवेदन दिया है कि सिकन्दर यादव के बन रहे मकान से दक्षिण उपेन्द्र यादव के मकान एवं सहन की दूरी उ0- 85 कड़ी, द0- 55 कड़ी, पू0- 70 कड़ी तथा प0- 70 कड़ी यानि 4900 वर्ग कड़ी दखल कब्जा में है, जो केवाला के रकवा 01 कट्टा 03 धुर से 100 वर्ग कड़ी कमी पाया</p>	

11/8/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>गया। उपेन्द्र यादव के मकान से दक्षिण बिन्दु यादव के जमीन का नापी 30- 55 कड़ी, 40- 35 कड़ी, 50- 123 कड़ी तथा 60- 118 कड़ी यानि 4900 वर्ग कड़ी अर्थात् 5422 वर्ग कड़ी केवाला के रकवा 01 कट्टा 03 धुर से 422 वर्ग कड़ी अधिक पाया गया, अतः दो कड़ी चौड़ा तथा 55 कड़ी लम्बा बिन्दु यादव के जमीन से उतर उपेन्द्र यादव के जमीन में मिला देने पर विपक्षी उपेन्द्र यादव का रकवा पूर्ण हो जाता है।</p> <p>अतः विपक्षी के जमीन दक्षिण तरफ बिन्दु यादव के जमीन में मिला हुआ है, इसलिए विपक्षी को अधिकार आवेदक के निर्माण कार्य से बाधा पहुँचाने एवं रोक लगाने का नहीं है।</p> <p>बहस के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता ने कहा है कि विपक्षी को अपने केवाला दिनांक 13.04.74 ई0 से खरीदे गए 01 कट्टा 1 1/2 जमीन खेसरा नं0 645, 647 से ही सम्बन्ध है, उनके जमीन को स्थल पर नापी कर निकाल दिया जाय।</p> <p>उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित साक्ष्य का अवलोकन करने से यह बात प्रकाश में आई कि विपक्षी का दावा वर्ष 1974 केवाला के आधार पर है एवं वादी का दावा वर्ष 2011 केवाला के आधार पर है।</p> <p>अतएव पक्षकारों के बीच सीमांकन का विवाद विद्यमान है। अतः अंचल अधिकारी बहेड़ी उभय पक्षों के उपस्थिति में केवाला के क्रमानुसार एवं वर्णित चौहद्दी के अनुरूप प्रश्नगत जमीन का सीमांकन करायेगें तथा आवेदक बहेड़ी अंचल में अमानत का शुल्क जमा करें।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी बहेड़ी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजें।</p> <p>लेखापित एव शुद्धित</p> <p> 18/02/14</p> <p>भू0 सु0 उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p> <p> 18/02/14</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित</p> <p>पत्रांक 365 का 5121</p>